

न्यायालय : राजस्व व सहायक न्यायालय म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/2017 पुनरीक्षणकर्ता

नवीन प्रकरण 2256/2018

II/ निगरानी/ भिण्ड भू.सं. 2018/2256

मुकेश भट्टेले पुत्र स्व. श्री आर.सी. भट्टेले
उम्र-46 वर्ष, निवासी-4, सत्यदेव नगर,
गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

(1) बृजकिशोर भट्टेले पुत्र श्री ग्यादीन भट्टेले
आयु 70 साल, जाति ब्रा0 निवासी कोट
का कुंआ, वार्ड नं. 06, गोहद जिला
भिण्ड (म.प्र.)

- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

(2) मनोज भट्टेले पुत्र स्व. श्री आर.सी. भट्टेले
उम्र-37 वर्ष, निवासी-4, सत्यदेव नगर,
गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

(3) श्रीमती शकुन्तला भट्टेले पत्नी स्व.
श्री आर.सी. भट्टेले उम्र-37 वर्ष,
निवासी-4, सत्यदेव नगर, गांधी रोड,
ग्वालियर (म.प्र.)

- तरतीवी प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959



श्रीमान् तहसीलदार वृत्त गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक
02/16-2017/अ-70 व उनमान बृजकिशोर भट्टेले विरुद्ध मुकेश आदि में
पारित आदेश दिनांक 13.12.2017 से दुखित होकर वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत
की जा रही है।

श्रीमान् जी,

प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से वर्तमान पुनरीक्षण निम्नानुसार
प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

(1) यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1/आवेदक बृजकिशोर भट्टेले द्वारा,
एक आवेदन पत्र वास्ते धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के




मुकेश भट्टेले
ज्या आज दि 6-5-18 को
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 15-5-18 नियत।
कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
15/5/2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/2256

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 5-12-18 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भट्टेले उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |